इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 326] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जुलाई 2011—आषाढ़ 17, शक 1933

खेल और युवा कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2011

क्र. एफ 2-154-2007-नौ-(1).—राज्य शासन के निर्णय दिनांक 29 जुलाई 1991 के परिपालन में, पंजीयन एवं फर्म्स सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 25 जनवरी 1992 को पंजीकृत ''मध्यप्रदेश खेल प्राधिकरण समिति'' तथा कार्यपालिक निर्देशों के तहत 1960 में गठित ''मध्यप्रदेश क्रीड़ा परिषद्'' एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से विघटित किए जाते हैं.

क्र. एफ 2-154-2007-नौ-(2).—राज्य शासन द्वारा दिनांक 13 जून 2011 के द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार एतद्द्वारा ''मध्यप्रदेश खेल प्राधिकरण'' का गठन किया जाता है.

क्र. एफ 2-154-2007-नौ-(3).—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 जुलाई 2011 के द्वारा गठित मध्यप्रदेश खेल प्राधिकरण के संचालन हेतु एतद्द्वारा मध्यप्रदेश खेल प्राधिकरण का संविधान निर्मित व प्रकाशित किया जाता है:—

मध्यप्रदेश खेल प्राधिकरण का संविधान

1. **नाम.**—यह संस्था मध्यप्रदेश खेल प्राधिकरण कहलायेगी. इसका प्रधान कार्यालय भोपाल होगा.

2. **परिभाषाएं.**—(अ.) ''संघ'' से तात्पर्य राज्य स्तरीय खेल संघों से है जो प्रदेश में खेलों की उन्नति के कार्य में लगे हों तथा अपने-अपने क्षेत्र में भारत सरकार के अखिल भारतीय फेडरेशन से मान्यता प्राप्त किये हों, जिसे भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने भी मान्यता प्रदान की हो. उनकी राज्य इकाईयाँ भी हों.

(ब) ''प्राधिकरण'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश खेल प्राधिकरण से है.

(स) ''शासन'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है.

(द) ''संस्था'' से तात्पर्य यथाविधि गठित संस्था से है जो खेलों की उन्नति के कार्य में लगी हो किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी संघ से सम्बद्ध हो.

(इ) ''राज्य'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है.

3. **उद्देश्य.**—प्राधिकरण के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:—

(1) जीवन में खेलों एवं शारीरिक शिक्षा की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए युवाओं की प्रतिभा एवं ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग सुनिश्चित करना.

(2) नागरिकों में खेल के प्रति उत्साह एवं इसके माध्यम से राष्ट्रीयता, मैत्री, सामाजिक समरसता तथा सौहार्दपूर्ण प्रतिस्पर्धा जागृत कर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ठ कार्य करना.

(3) खिलाड़ियों की पहचान एवं प्रशिक्षण, चिन्हित खेलों को बढ़ावा देना तथा जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेलों का विकास करना.

(4) प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सके जिससे वे संभावित उत्कृष्टता प्राप्त कर सके, ऐसी कार्ययोजनायें तैयार करना.

(5) अधोसंरचना का विकास करना.

(6) राज्य स्तरीय खेल संघ एवं संस्थाओं से समन्वय, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं पुरस्कार, प्रशिक्षक, निर्णायक एवं तकनीकी अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं विकास संबंधी कार्य करना.

(7) राज्य में विशेष रूप से आदिवासी, महिला, नि:शक्तजन एवं पिछड़े क्षेत्रों में खेलों का विकास करना.

(8) शिक्षा एवं खेलों में सामन्जस्य स्थापित करते हुए खेलों के लिये आवश्यक संसाधनों का सृजना करना.

(9) प्रदेश की खेल नीति को दृष्टिगत रखते हुए खेलों के विकास तथा उनका स्तर ऊंचा बनाने के लिए योजनाएं बनाना तथा उन्हें कार्यान्वित करना.

(10) खेलकूद के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं की खोज करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना.

(11) बुनियादी खेल अधोसंरचना तथा उपकरण उपलब्ध कराना तथा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उन्नत प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने व बने रहने के लिये अवसर उपलब्ध कराना.

(12) परम्परागत भारतीय तथा आधुनिक खेलों का संवर्धन करना.

(13) उच्च प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि के लिये राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक के प्रतिस्पर्धाओं के ढांचे के मध्य अटूट एकीकरण सृजित करना.

(14) खेलों के विकास के लिये मिशन तैयार करना, जिसमें बुनियादी खेल अधोसरंचना, उपकरण की उपलब्धता इत्यादि शामिल हो.

(15) ऐसी सभी कार्यवाही और कार्य करना जिसे प्राधिकरण उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सहायक अथवा प्रासंगिक समझता है.

(16) जननिजी भागीदारी मॉडल पर खेल अधोसंरचना व खेल गतिविधियों का विकास करना.

(17) सृजित सम्पत्तियों का संधारण, संरक्षण व अधिकतम उपयोग की कार्ययोजना तैयार करना.

4. **प्राधिकरण का गठन.**—प्राधिकरण की सामान्य सभा निम्नानुसार होगी:—

(1)	माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण	—	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव, खेल और युवा कल्याण	—	सदस्य
(3)	संचालक, खेल और युवा कल्याण, म. प्र.	—	सदस्य-सचिव
(4)	मध्यप्रदेश का एक लोक सभा सदस्य (राज्य शासन द्वारा नामांकित)	—	सदस्य
(5)	मध्यप्रदेश विधान सभा के 5 सदस्य जिनमें न्यूनतम एक महिला तथा एक सदस्य अजा/अजजा रहेंगे (राज्य शासन द्वारा नामांकित).	—	सदस्य
(6)	मध्यप्रदेश का एक अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी (राज्य शासन द्वारा नामांकित)	—	सदस्य
(7)	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 5 विभिन्न खेलों के खिलाड़ी इनमें से कम से कम 1 महिला खिलाड़ी भी सम्मिलित रहेंगी. (राज्य शासन द्वारा नामांकित).	—	संदस्य
(8)	अध्यक्ष मध्यप्रदेश ओलम्पिक एसोसिएशन	—	सदस्य
(9)	म. प्र. खेल संघ का एक पदाधिकारी (राज्य शासन द्वारा नामांकित).	—	सदस्य

पदेन सदस्य— (1) प्रमुख सचिव/सचिव, म. प्र. शासन, वित्त विभाग
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, म. प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
(4) प्रमुख सचिव/सचिव, म. प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसुचित जाति कल्याण विभाग
(5) उप कुलपति, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर.

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति—

(1)	माननीय मंत्री, खेल और युवा कल्याण	—	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव, खेल और युवा कल्याण	—	सदस्य
(3)	संचालक, खेल और युवा कल्याण, म. प्र.	—	सदस्य-सचिव
(4)	राज्य शासन द्वारा नामांकित म. प्र. खेल संघ का एक पदाधिकारी	—	सदस्य
(5)	राज्य शासन द्वारा नामांकित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 3 भिन्न खेलों के खिलाड़ी जिनमें कम से कम 1 महिला खिलाड़ी भी सम्मिलित रहेगी.	—	सदस्य

शासकीय एवं पदेन सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा तथा किसी भी सदस्य को 2 बार से अधिक मनोनीत नहीं किया जा सकेगा. उन्हें निम्न किन्हीं भी कारणों से सदस्यता से हटाया जा सकेगा:—

(1) सदस्यता की अवधि समाप्त होने पर या पदेन सदस्य के पदमुक्त होने पर.

(2) मृत्यु, राजीनामा, दीवालियापन, पागलपन या किसी फौजदारी मामले से सम्बद्ध होने पर या अन्य किसी ऐसे कारण से जो प्राधिकरण के हित में न हो, बिना किसी सूचना के अध्यक्ष की अनुमति से हटाया जा सकेगा.

(3) किसी भी नामांकित अशासकीय सदस्य को पदेन सदस्यों को छोड़कर, प्राधिकरण की लगातार 2 बैठकों में उपस्थित न होने पर बिना किसी सूचना के राज्य शासन द्वारा हटाया जा सकता है.

6. **प्राधिकरण के कार्य तथा शक्तियां.**—(1) ऐसे उपाय सुझाना तथा ग्रहण करना जो खेलकूद तथा स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में उच्च स्तर कायम करने की दिशा में प्रभावकारी माने जाये.

(2) भारत में या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले खेलों, क्रीड़ाओं से संबंधित समस्त मामलों में राज्य शासन को परामर्श देना.

(3) राज्य/क्षेत्रीय क्रीड़ा एवं खेल संघों को परामर्श देना और उनके मध्य समवन्य कारक अभिकरण के रूप में कार्य करना.

(4) ऐसी तदर्थ समितियों की स्थापना करना जो उसके किन्हीं भी कार्यों तथा गतिविधियों के संबंध में आवश्यक समझी जायें तथा उन्हें शक्तियां या कार्य सौंपना तथा उनके पदाधिकारियों के कर्तव्यों का विनियमन करना.

(5) क्रीड़ा, खेल तथा शारीरिक विकास संवर्धन संबंधी ज्ञान का प्रसार करने की दृष्टि से पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य साहित्य का प्रकाशन करना.

(6) ऐसे कार्यालयों तथा प्रशासनिक तंत्र की स्थापना करना जो उसके कार्यों के कुशल एवं उचित संचालन के लिये उपयुक्त समझा जाये.

(7) अपने भवन, भूमि, समान तथा अन्य सम्पत्ति को हानि या क्षति से बचाना और उनके उपयोग को विनियमित करना.

(8) शासन की पूर्वानुमति से प्राधिकरण के नियम तथा विनियम बनाना.

(9) राज्य शासन की अनुमति से ऐसे सभी कार्य करना जो उसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में आवश्यक हों.

7. **प्राधिकरण की बैठकें.**—(अ) प्राधिकरण की सामान्य सभा की बैठकें वर्ष में एक बार अध्यक्ष की अनुमति से निश्चित तिथि एवं समय पर आयोजित की जायेगी.

(ब) प्राधिकरण की सामान्य सभा अथवा कार्यकारी समिति की बैठक उस समिति के अध्यक्ष द्वारा कम से कम 15 दिन की सूचना पर बुलाई जा सकेगी परन्तु अतिआवश्यक होने पर प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी भी समय प्राधिकरण की विशेष बैठक अपनी इच्छा से कम से कम 07 दिन पूर्व की सूचना पर बुला सकेगा. इस निवेदन के साथ प्रस्ताव के रूप में इस बैठक का प्रयोजन बतलाने वाला एक विवरण होना चाहिए.

(स) प्राधिकरण की वार्षिक साधारण सभा की बैठक निम्नलिखित कार्यों के लिये बुलाई जाएगी:—

(एक) सचिव द्वारा प्रस्तुत प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट तथा गत वर्ष के वार्षिक आय-व्यय संबंधी विवरण पर विचार करने के लिये.

(दो) वर्ष के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिये, और,

(तीन) अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी अन्य विषय पर विचार करने के लिये.

(द) वार्षिक साधारण बैठक की सूचना समस्त सदस्यों को कार्यसूची, वार्षिक रिपोर्ट, गतवर्ष का लेखा प्रतिवेदन तथा आगामी वर्ष के अनुमानों के साथ बैठक तिथि से कम से कम 7 दिन के पूर्व भेजी जाएगी.

8. **प्राधिकरण की कार्यवाही.**—(अ) प्राधिकरण की समस्त बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जायेगी.

(ब) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से बैठक के लिये एक चयनित सदस्य सभापति होगा. इस प्रकार चुना गया सभापति बैठक की अध्यक्षता करेगा और उक्त बैठक में अध्यक्ष के समस्त कार्यों तथा शक्तियों का प्रयोग करेगा.

(स) प्राधिकरण के समस्त निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से अनुमोदित किये जायेंगे. यदि मत बराबर-बराबर हों तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देगा. सचिव प्रत्येक बैठक की कार्यवाही लिखेगा और उसे अगली बैठक में पुष्टि के लिये प्रस्तुत करेगा.

(द) प्राधिकरण की किसी भी बैठक के लिये सात सदस्य और कार्यकारी समिति की किसी भी बैठक के लिये पांच सदस्य गणपूर्ति करेंगे. प्राधिकरण अथवा कार्यकारी समिति की किसी भी स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी.

(ई) प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा. प्राधिकरण की निधि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अधिसूचित बैंक में रखी जायेगी और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित व्यय के संबंध में सचिव आहरण तथा वितरण अधिकारी होगा.

9. **कार्यकारी समिति की बैठकें**—(अ) कार्यकारी समिति के सदस्यों की पदावधि प्राधिकरण के सामान्य सभा के सदस्यों की पदावधि के साथ-साथ समाप्त होगी.

(ब) कार्यकारी समिति की बैठक आवश्यकतानुसार वर्ष में दो बार होगी, कार्यकारी समिति की कम से कम पांच सदस्यों की उपस्थिति होने पर बैठक के लिए कोरम की पूर्ति समझी जावेगी.

10. **कार्यकारी समिति के कार्य एवं शक्तियां निम्न होंगी :—**

(एक) खेल प्राधिकरण के नीति निर्धारण तथा सामान्य नियंत्रण के अधीन प्राधिकरण के कार्य तथा निर्णयों को कार्यान्वित करना.

(दो) आपाती मामलों में ऐसी कार्यवाही, जो आवश्यक समझी जावे, करना और प्राधिकरण की अगली बैठक में पुष्टि हेतु रखना.

(तीन) राज्य में क्रीड़ाओं और खेलों के विकास तथा शारीरिक संवर्धन के लिये योजनाएं बनाना तथा उन्हें प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत करना.

(चार) ऐसे अन्य कार्य करना, जो प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से उसे सौंपे जाएँ.

11. **प्राधिकरण का फण्ड.**—प्राधिकरण के आय के निम्न स्त्रोत होंगे:—

(1) राज्य सरकार या अन्य संस्थाओं से प्राप्त अनुदान

(2) स्टेडियम की आय, खेल सुविधाएं, प्रदाय करने से प्राप्त आय, टिकिटों की बिक्री, विज्ञापन, टूर्नामेंट प्रतियोगिता तथा खेल कार्य-कलापों के अवसर पर ब्रोंशर आदि के विक्रय से.

(3) अन्य किन्हीं वैधानिक तरीकों से प्राप्त आय. राज्य शासन की पूर्व अनुमति से ऋण भी प्राप्त कर सकेगा.

(4) खेल प्राधिकरण स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा आवश्यकतानुसार अधिसूचित बैंक या उसकी शाखाओं में अपना खाता रखेगी.

(5) खेल प्राधिकरण द्वारा वार्षिक सामान्य सभा की प्रोसीडिंग तथा परीक्षित वार्षिक हिसाब-किताब राज्य शासन का नियमित तिमाही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. राज्य शासन द्वारा कभी भी प्राधिकरण का हिसाब-किताब मांगा जा सकता है, जिसे प्राधिकरण प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा.

12. मध्यप्रदेश खेल प्राधिकरण का संगठनात्मक ढांचा कार्यकारी समिति द्वारा तैयार किया जायेगा.

13. **सदस्य सचिव के कर्तव्य व शक्तियाँ.**—(1) खेल प्राधिकरण की सामान्य सभा एवं कार्यकारी समिति की बैठकें आयोजित कराना.

(2) प्राधिकरण की तरफ से समस्त पत्र-व्यवहार, सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा.

(3) खेल प्राधिकरण की सम्पत्ति एवं अभिलेखों का रख-रखाव करना.

(4) खेल प्राधिकरण के कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति करना और उनके विरुद्ध सभी अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, जिसमें उनको हटाया जाना भी सम्मिलित है.

(5) खेल प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी बैंक में खाता खोलना और उसमें राशि जमा करना, निकालना तथा हिसाब-किताब रखना. वह प्राधिकरण के सामान्य नियंत्रण के अधीन / विधिमान्य भुगतान प्राप्त करेगा तथा विधिमान्य राशि का वितरण करेगा.

(6) (i) बजट व्यवस्था के अधीन किसी भी एक आकस्मिक कार्य पर रुपये 50,000/- तक व्यय करना.

(ii) रुपये 1.00 लाख तक के प्रमुख सचिव/सचिव तथा इससे अधिक राशि के व्यय करने के अधिकार अध्यक्ष को रहेंगे.

(7) कर्मचारीवृन्द के वेतन, देयकों, दौरों तथा यात्रा भत्ता देयकों की तथा प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता देयकों की स्वीकृति देना.

14. **संविधान का संशोधन.**—राज्य शासन स्वयं प्रेरणा से खेल प्राधिकरण के संविधान में जैसा आवश्यक समझे संशोधन कर सकेगा. प्राधिकरण अपने संविधान में संशोधन का प्रस्ताव यदि कोई हो, प्राधिकरण के तो तिहाई सदस्यों द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् ही प्रस्तुत कर सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक शाह, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.